न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 900/2024

अनवान : –

1. चन्द्रसैन दत्तक पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: -19/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 614/583 के ख0न0 142 की 14.6700 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि लालचन्द के नाम दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लालचन्द के नाम दर्ज है। लालचन्द का देहांत हो चुका है। लालचन्द जो की कुंवारा फौत हो चुका है। लालचन्द ने अपने जीवन काल में शादी नही की थी तथा वादी जब बाल्यकाल में था तब ही वादी को अपने पास रखने लगा तथा वादी को खोले ले लिया गया तथा उसके बाद लालचन्द ने दिनांक 31.01.2014 को एक गोदनामा नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा दिया गया है तथा वादी ने लालचन्द ने अपने जीवन काल में अपने पुत्र होने का धर्म लालचन्द ने अंतिम सांस तक निभाया था एवं मृत्यु के बाद भी समस्त कियाकर्म पुत्र की हैसीयत निभाया है ताकि उसके मरने के बाद उसकी सम्पति में हक व हिस्सा की मांग न कर सके। लालचन्द फौत हो चुका है जिसका विधिक उत्तराधिकारी अकेला वादी है इसलिए मृतक लालचन्द के नाम दर्ज भूमि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 614/583 के ख0न0 142 की 14.6700 हैक्ट भूमि में से मृतक लालचन्द के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि में मृतक लालचन्द का नाम कलमजन कर वादी को 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषित की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.29 11:02:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 614/583 की कुल 14.6700 हैक्ट, चित्रप्रति गोदनामा दिनांक 13.01.2014, मृत्यु प्रमाण पत्र लालचन्द पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लालचन्द के नाम दर्ज है। लालचन्द का देहांत हो चुका है। लालचन्द जो की कुंवारा फौत हो चुका है। लालचन्द ने अपने जीवन काल में शादी नही की थी तथा वादी जब बाल्यकाल में था तब ही वादी को अपने पास रखने लगा तथा वादी को खोले ले लिया गया तथा उसके बाद लालचन्द ने दिनांक 31.01.2014 को एक गोदनामा नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा दिया गया है तथा वादी ने लालचन्द ने अपने जीवन काल में अपने पुत्र होने का धर्म लालचन्द ने अंतिम सांस तक निभाया था एवं मृत्यु के बाद भी समस्त कियाक्रर्म पुत्र की हैसीयत निभाया है ताकि उसके मरने के बाद उसकी सम्पति में हक व हिस्सा की मांग न कर सके। लालचन्द फौत हो चुका है जिसका विधिक उत्तराधिकारी अकेला वादी है इसलिए मृतक लालचन्द के नाम दर्ज भूमि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 614/583 के ख0न0 142 की 14.6700 हैक्ट भूमि में से मृतक लालचन्द के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि में मृतक लालचन्द का नाम कलमजन कर वादी को 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 614/583 के ख0न0 142 की 14.6700 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि लालचन्द के नाम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त वाद भूमि लालचन्द पुत्र जालू के नाम दर्ज है। लालच[illegible]02.2019 को देहांत हो चुका है। वादी द्वारा प्रस्तुत गोदनामा के मुता[illegible] लिया गया था गोदनामा नोटरी पब्लिक है। अतः वाद वादी [illegible]तिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.29 11:02:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 614/583 के ख0न0 142 की 14.6700 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि लालचन्द के नाम दर्ज है में लालचन्द पुत्र जालू का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.29 11:02:34 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 900 / 2024

अनवान : –

1. चन्द्रसैन दत्तक पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 900 सन 2024 निर्णय दिनांक -19/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री राजपाल झोरड़ एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 614 / 583 के ख0न0 142 की 14.6700 हैक्ट भूमि में से 1 / 6 हिस्सा भूमि लालचन्द के नाम दर्ज है में लालचन्द पुत्र जालू का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.29 11:02:34 IST
Reason: SelfAttested